राजभाषा हिन्दी के बारे में जानने योग्य आवश्यक बातें

सितम्बर 2011

भीम सिंह
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रशासन निदेशालय
राजभाषा अनुभाग, बल मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली

'लौह पुरूष'– सरदार बल्लभभाई पटेल ने कहा था

अब जबकि हिन्दी को राष्ट्रभाषा की पदवी मिल गई है, हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि राष्ट्रभाषा की उन्नति बढ़ाए और उसकी सेवा करे जिससे कि सारे भारत में वह बिना किसी संकोच या सन्देह के स्वीकृत हो । हिन्दी का पाट महासागर की तरह विस्तृत होना चाहिए जिसमें मिल कर और भाषाएँ अपना बहुमूल्य भाग ले सकें । राष्ट्रभाषा न तो किसी प्रांत की और न किसी जाति की है । वह सारे भारत की भाषा है और उसके लिए यह आवश्यक है कि सारे भारत के लोग उसको समझ सकें और अपनाने का गौरव हासिल कर सकें ।

– बल्लभभाई पटेल

राजभाषा हिन्दी के बारे में जानने योग्य आवश्यक बातें

सितम्बर 2011

भीम सिंह
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रशासन निदेशालय
राजभाषा अनुभाग, बल मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली

विषय सूची

क्र.सं	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	महानिदेशक महोदय द्वारा 14 सितम्बर को जारी की गई अपील	i - ii
2.	सामान्य	01
3.	हिन्दी की संवैधानिक स्थिति	02
4.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्राचार	02-03
5.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक कार्यक्रम/ लक्ष्य	03-11
6.	बल के अधिसूचित कार्यालय	11
7.	कार्यान्वयन	12
8.	हिन्दी शिक्षण योजना	12-15
9.	प्रोत्साहन योजनाएं	15-19
10.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) द्वारा पुलिस से संबंधित हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना	20-22
11.	हिन्दी कार्यशाला	23
12.	अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए मानदेय	23-24
13.	राजभाषा कार्यान्वयन समितियां	24-25
14.	संसदीय राजभाषा समिति	25
15.	हिन्दी कार्य को बढ़ाने के लिए सुझाव/राजभाषा संबंधी उपयोगी साहित्य	25-26
16.	अधिसूचित कार्यालयों की सूची	27-34

रमन श्रीवास्तवा
महानिदेशक

सीमा सुरक्षा बल
10, सी जी ओ काम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

अपील

प्रिय सीमा प्रहरियों,

14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान–सभा ने हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सीमा प्रहरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भारत जैसे विशाल और बहुभाषी राष्ट्र के नागरिकों की सम्पर्क–भाषा के रूप में हिन्दी का विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आज एक तरफ इस बात की आवश्यकता है कि हम कम्प्यूटर और सूचना तकनीक से जुड़ें तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कामकाज की भाषा ऐसी हो जिससे आम जनता जुड़ी हुई हो। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा हिंदी में कामकाज पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से अनेक प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जाती हैं और सरकारी कर्मचारियों को अपना कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल में सभी प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। इसी क्रम में प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी 01 से 15 सितम्बर 2011 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है जिसके दौरान हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग, हिन्दी प्रश्नोत्तरी, हिन्दी निबंध, अनुवाद और वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

हमारा प्रयास है कि अनेक भाषा–भाषी प्रान्तों से आने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच हिन्दी आपसी संवाद का सशक्त माध्यम बने। राजभाषा अनुभाग द्वारा समय–समय पर अपनी तरफ से हिन्दी कार्यशालाओं आदि का आयोजन इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। इसमें सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस बिन्दु की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हिन्दी को केवल अनुवाद की भाषा न बनायें। दुनिया भर की भाषाओं में

परस्पर एक दूसरे से अनुवाद होते हैं और अनुवाद के बिना किसी भी भाषा का काम नहीं चल सकता लेकिन देखने में आता है कि कई बार हिन्दी भाषी क्षेत्रों से आने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी हिन्दी अनुवाद की अपेक्षा करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में अपने हिन्दी ज्ञान के संबंध में आत्मविश्वास की कमी प्रतीत होती है। जरूरत इस बात की है कि अधिकारी और कर्मचारी आत्मविश्वास के साथ हिन्दी में काम करें।

सरकार, अधिकारियों और कर्मचारियों से आम जनता को बड़ी अपेक्षाएं हैं। इन्हीं अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा यह भी है कि कामकाज जनता की भाषा–हिन्दी में हो। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहादुर सीमा प्रहरी जिस प्रकार सीमा की रक्षा की चुनौतियों पर खरे उतरे हैं, उसी प्रकार जनता की इस अपेक्षा पर भी खरे उतरेंगे और आम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपना कामकाज हिन्दी में करेंगे।

मैं सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे स्वयं सरकारी कार्य हिन्दी में करने की पहल करें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें।

जय हिन्द!

रमन

(रमन श्रीवास्तवा)

सामान्य

सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम सबके लिये यह जानना आवश्यक है कि हिन्दी की संवैधानिक स्थिति क्या है, यह किस तरह सरकारी कार्यालयों पर लागू है, उसके लिए संघ सरकार ने क्या–क्या व्यवस्था कर रखी है और सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमें क्या–क्या करना है । यह सब जानना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने रोजमर्रा के काम में संघ सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के बारे में की गई सांविधिक व्यवस्था का पालन करें । किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रभाषा विशेष महत्व रखते हैं । ये उसका गौरव हैं ।

2. जिस प्रकार अपने देश के संविधान के अन्य उपबन्धों का पालन करना हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार राजभाषा संबंधी उपबंधों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है । हमारे अधिकारियों में क्षमता की कमी नहीं है । जिस प्रकार वे सरकार की अन्य विषयों की नीति को कार्यान्वित करने में अपनी क्षमता का परिचय देते हैं, उसी प्रकार उन्हें राजभाषा नीति को लागू करने में भी अपनी क्षमता दिखानी चाहिए ।

3. बहुत कम लोगों को इस तथ्य की जानकारी है कि 14 सितम्बर, 1949 का दिन केवल हिन्दी के लिए ही नहीं अपितु सभी भारतीय भाषाओं के लिए गौरव का दिन है । इस दिन संविधान सभा ने जहां हिन्दी को केन्द्रीय सरकार की राजभाषा तथा अन्तरराज्यीय कार्य व्यवहार तथा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के साथ होने वाले पत्र व्यवहार की भाषा स्वीकार किया वहां यह भी निर्णय किया कि विभिन्न राज्यों में जो भाषा अथवा भाषाएं प्रयुक्त होती हैं उन्हें अथवा हिन्दी को, जैसा भी उस राज्य का विधान मण्डल तय करे, राजभाषा के रूप में अपनाया जाएगा । इस प्रकार 14 सितम्बर के दिन भारतीय भाषाओं के प्रेमियों को हर्ष एवं गर्व का अनुभव होना चाहिए । आपके सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्यों में उनकी अपनी मातृभाषा में सरकारी कामकाज चलता है, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा में, महाराष्ट्र में मराठी में, पंजाब में पंजाबी में, कर्नाटक में कन्नड़ में, उड़ीसा में उड़िया में और पश्चिम बंगाल में बंगला में और गोवा में कोंकणी में, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में हिन्दी में।

हिन्दी की संवैधानिक स्थितिः–

राजभाषा संबंधी उपबंध संविधान के भाग पांच, छः और सत्रह में है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के संबंध में विस्तार से लिखा गया है । अनुच्छेद 351 में यह विहित है कि "संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढाए और उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में यह विहित है कि 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी'। इसी अनुच्छेद के खण्ड (2) में यह व्यवस्था की गई थी कि सन् 1965 के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को चालू रखने के लिए संसद कानून बना सकती है। परिणामस्वरूप सन् 1963 में संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया । सन् 1967 में इस अधिनियम की धारा 3 में कुछ संशोधन किए गए । अब स्थिति यह है कि 26 जनवरी 1965 से पहले जिन कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था, उन सभी कार्यों के लिए उसका उपयोग हिन्दी के साथ–साथ किया जा सकता है । सरकारी कर्मचारी से उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांगा जा सकता। हाँ, अधिनियम की धारा 3 (3) में उल्लिखित कागजातों अर्थात सामान्य आदेश, अधिसूचना, करार, परिपत्र आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है ।

अधिनियम की धारा 8 (1) के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

अतः केन्द्रीय सरकार ने राजभाषा नियम 1976 बनाया । इस नियम में अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था है कि :–

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्राचार

(क) क्षेत्र 'क' (बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र में किसी राज्य आदि को पत्रादि अनिवार्य रूप से हिन्दी में भेजे जाएंगे और यदि पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।

(ख) क्षेत्र 'ख' (गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र) में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रादि साधारणतया हिन्दी में होंगे और यदि पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।

(ग) क्षेत्र 'ग' (क्षेत्र क व ख, के अलावा) अर्थात उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर, दक्षिण आदि में स्थित राज्यों या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि अंग्रेजी में होंगे लेकिन हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने होंगे ।

संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2011–2012 में निर्धारित लक्ष्य

1. हिन्दी में टिप्पणी – क क्षेत्र में 55–75 प्रतिशत, ख क्षेत्र में 40–50 प्रतिशत, व ग क्षेत्र में 20–30 प्रतिशत ।

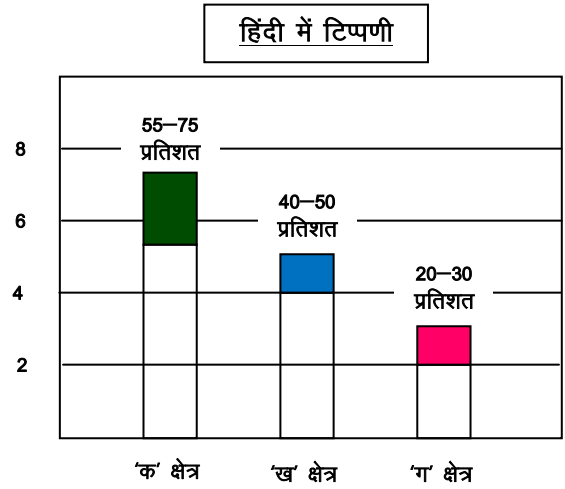

2. **हिन्दी में मूल पत्राचार (तार – बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई मेल आदि सहित)**

क क्षेत्र

क क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों आदि से क ख क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि।

(1) क क्षेत्र से क क्षेत्र को 75–100 प्रतिशत
(2) क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 65–100 प्रतिशत
(3) क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 50–65 प्रतिशत
(4) क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति :

(अ) क से क – 75–100 प्रतिशत
(ब) क से ख – 65–100 प्रतिशत।

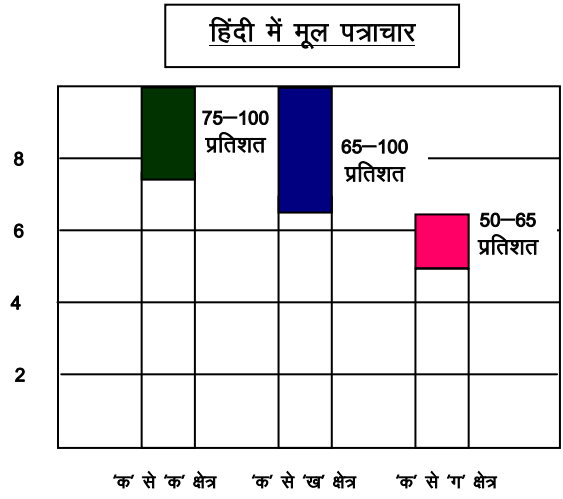

ख क्षेत्र

ख क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से क तथा ख क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि।

(1) ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 75–90 प्रतिशत
(2) ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 65–90 प्रतिशत
(3) ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 45–55 प्रतिशत
(4) ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति :

(अ) ख से क – 75–90 प्रतिशत
(ब) ख से ख – 65–90 प्रतिशत

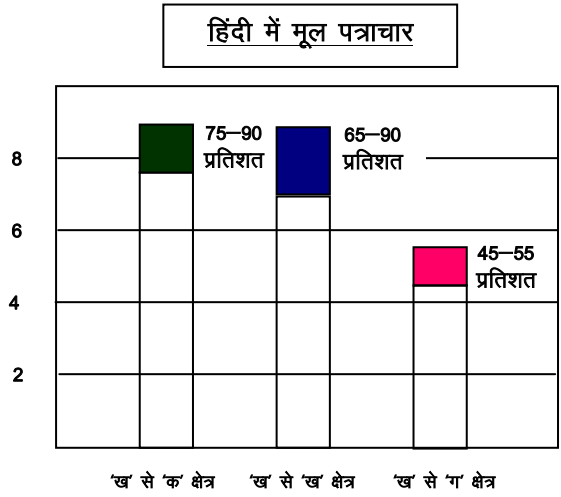

ग क्षेत्र

ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से क, ख और ग क्षेत्रों में स्थित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि – 55 प्रतिशत ।

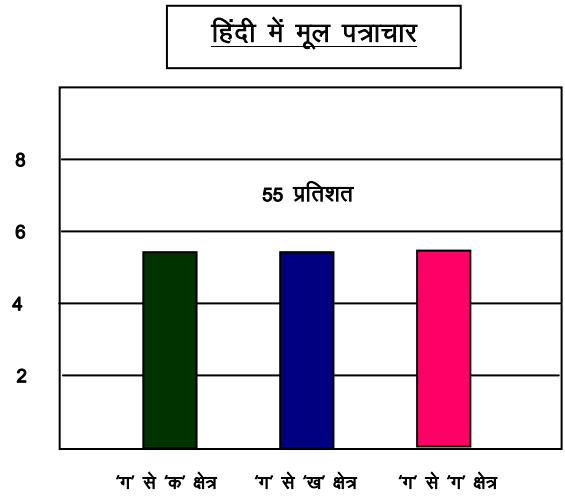

3. द्विभाषी कम्प्यूटर प्रणालियों की व्यवस्था ।

कार्यालय में लगाए गए सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी का साफ्टवेयर भी साथ – साथ लोड करवाया जाए ।

4. हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)

निम्नलिखित निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2011–12 के दौरान अप्रशिक्षित कर्मचारियों में से अधिकाधिक को हिन्दी में प्रशिक्षित करवाने के लिए प्रयास किए जाएं ।

क क्षेत्र	100 %
ख क्षेत्र	100 %
ग क्षेत्र	100 %

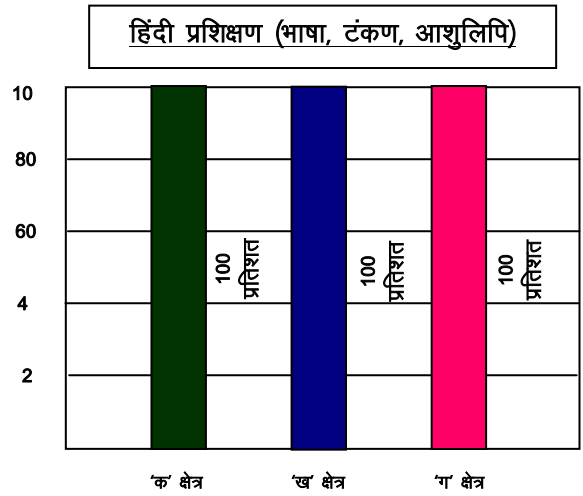

5. <u>हिन्दी टंकक, आशुलिपिक की भर्ती</u>

क क्षेत्र	80 %
ख क्षेत्र	70 %
ग क्षेत्र	40 %

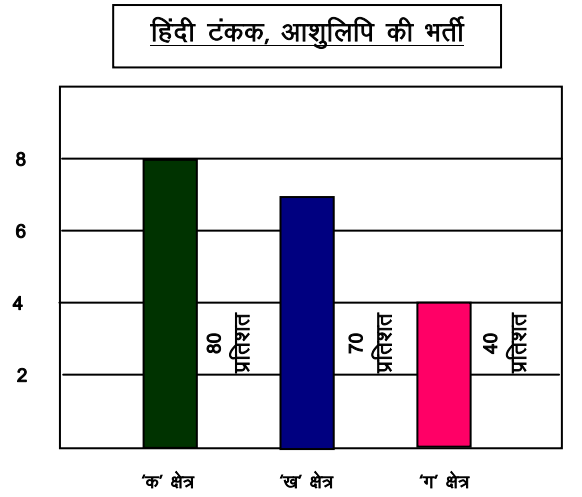

6. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं । (राजभाषा नियम 1976 का नियम 5)

7. वेब साइट – क, ख व ग क्षेत्रों में 100 प्रतिशत द्विभाषी होनी चाहिए ।

8. **हिन्दी में डिक्टेशन**

क क्षेत्र	65 %
ख क्षेत्र	55 %
ग क्षेत्र	30 %

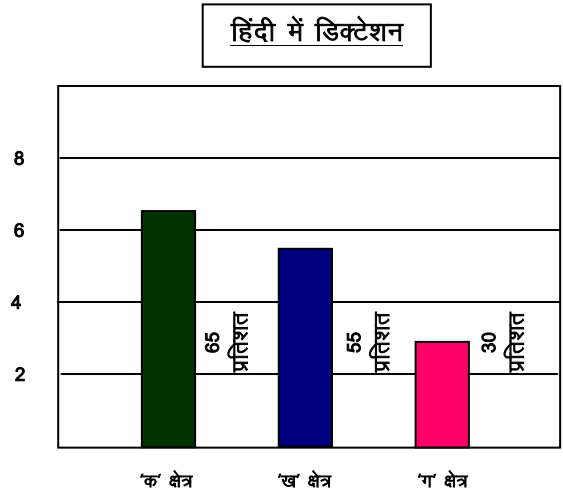

9. अनिवार्य रूप से अपने अधीनस्थ 25% (न्यूनतम) सेक्टरों/यूनिटों/बटालियनों के निरीक्षण करना – तीनों क्षेत्रों के लिए ।

10. अनिवार्य रूप से कार्यालय के अधीनस्थ 25% (न्यूनतम) अनुभागों/शाखाओं का निरीक्षण करना – तीनों क्षत्रों के लिए ।

11. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें – वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)

12. कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिन्दी अनुवाद और द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना – 100 प्रतिशत

13. ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिन्दी में हो –

क क्षेत्र – 40% (न्यूनतम अनुभाग)
ख क्षेत्र – 30% (न्यूनतम अनुभाग)
ग क्षेत्र – 20% (न्यूनतम अनुभाग)

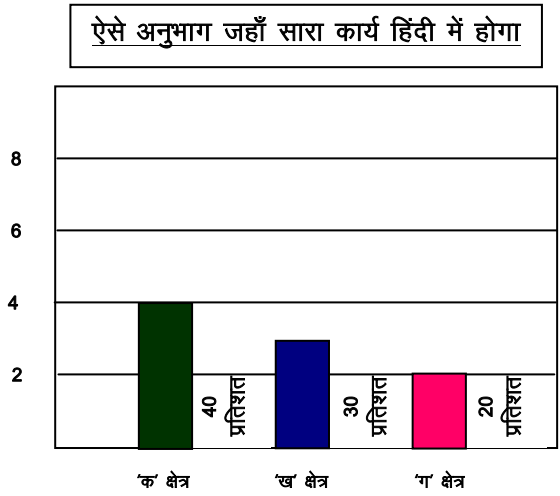

14. कम्प्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद – 100 प्रतिशत

15. हिन्दी पुस्तकों की खरीद जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिन्दी ई–पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय – 50 प्रतिशत

16 सूचना बोर्डों पर बताई गई सूचना – 100 प्रतिशत (द्विभाषी)

17 हर सरकारी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में करने के लिए स्वतंत्र है । यहां यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी में लिखे गए अभ्यावेदन/पत्र पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए

हों तो जहां पर पत्र भेजा जा रहा है (receiving end) उसके लिए वह हिन्दी का पत्र माना जाएगा और उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाएगा।

18. कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं और उस कर्मचारी से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे ।

19. इस प्रकार कोई भी कर्मचारी जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में प्राप्त किसी भी दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांग सकता है, बशर्ते वह दस्तावेज तकनीकी या विधिक प्रकृति का न हो।

20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं ।

21. हिन्दी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों / कागजात को डायरी करने के लिए अलग से रजिस्टर बनाए जाएं तथा इसी प्रकार हिन्दी में जारी किए जाने वाले पत्रों / कागजात के लिए भी अलग से डिस्पैच (निर्गम)रजिस्टर बनवाया जाए ।

22. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी किए जाने आवश्यक है :–

(क) संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति ।

(ख) संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेण्डर।

(ग) संसद के किसी भी सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागजात ।

23. राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार हों। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।

24. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के शीर्षक और फार्म दोनों भाषाओं में होंगे ।

25. सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट पत्रशीर्ष और लिफाफों तथा लेखन सामग्री की सभी मदों पर दोनों भाषाएं मुद्रित की जाएंगी ।

बल के अधिसूचित कार्यालय :–

सीमा सुरक्षा बल के अधिसूचित कार्यालयों की सूची परिशिष्ट – क पर संलग्न है ।

सूची क में दर्शाए गए कार्यालयों के साथ सन्देश सहित सारा पत्राचार हिन्दी में किया जाए ।

राजभाषा नियम – 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत कार्यालयों को अधिसूचित करवाने संबंधित प्रोफॉर्मा निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कुल अधिकारियों/ कार्मिकों की संख्या	इनमें से कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/ कार्मिकों की संख्या	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/ कार्मिकों का कुल प्रतिशत
1	2	3	4	5

अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का समुचित अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसका उत्तरदायित्व कार्यालय के प्रधान का है । इसके साथ ही कार्यालयाध्यक्ष की यह भी जिम्मेदारी है कि वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के उपाय करें ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी काम–काज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है । इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यदि हमारा कार्यालय एक अधिसूचित कार्यालय है तो यह अपेक्षा की गई है कि हम 100 प्रतिशत सरकारी काम हिन्दी में करें ।

कार्यान्वयन

हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करने का कारण यह नहीं है कि वह देश की अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि यह देश के बहु संख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है तथा यह एक सम्पर्क भाषा है । इसलिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना प्रत्येक कर्मचारी का कर्त्तव्य है । इससे संविधान का अनुपालन होगा और संसद द्वारा पारित की गई भाषा नीति का कार्यान्वयन भी ।

इसी नीति के अनुपालन के लिए केन्द्रीय सरकार में कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का काम 1952 में आरम्भ हुआ। शुरू में हिन्दी सीखने का काम स्वैच्छिक था, परन्तु राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार इसे अनिवार्य कर दिया गया। इसी प्रकार टंककों और आशुलिपिकों के लिए क्रमशः हिन्दी टंकण और आशुलिपि का कार्यालयीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। हिन्दी टाइपिंग/ स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण उन सभी हैड कांस्टेबल क्लर्क/एलडीसी/एएसआई/ स्टेनोग्राफरों के लिए अनिवार्य है, जो अंग्रेजी माध्यम से टाइपिंग/ स्टेनोग्राफी पास करके भर्ती हुए हैं ।

हिन्दी शिक्षण योजना की मुख्य विशेषताएं :–

(क) परीक्षा में बैठने के लिए प्रशिक्षण के दौरान कोई फीस नहीं ली जाती है ।

(ख) हिन्दी कक्षाओं में जाने तथा परीक्षा में बैठने के लिए किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा परीक्षा देने के लिए विशेष छुट्टी दी जाती है ।

(ग) पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।

(घ) परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं, यह प्रोत्साहन इस प्रकार हैः–

1. वैयक्तिक वेतन – प्राज्ञ परीक्षा पास करने तथा हिन्दी टंकण/आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें दो वेतन वृद्धियों की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है ।

2. नकद पुरस्कार – निर्धारित हिन्दी परीक्षा, अच्छे अंकों से पास करने पर नकद पुरस्कार दिए जाते हैं :–

(i) **<u>प्रबोध परीक्षा</u>**

(क) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1600/- रूपए ।

(ख) 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रू

(ग) 55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 400/- रू

(ii) **<u>प्रवीण परीक्षा</u>**

(क) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1800/- रूपए ।

(ख) 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1200 रू

(ग) 55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 600/- रू

(iii) **<u>प्राज्ञ परीक्षा</u>**

(क) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400/- रूपए ।

(ख) 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1600 रू

(ग) 55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रू

(iv) **<u>हिन्दी टंकण परीक्षा</u>**

(क) 97 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400/- रूपए ।

(ख) 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक परन्तु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1600 रू

(ग) 90 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रू

(v) **हिन्दी आशुलिपि परीक्षा**

(क) 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400/- रूपए ।

(ख) 92 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1600 रू.

(ग) 88 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रू.

निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

जो कर्मचारी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उन्हें निम्नलिखित एकमुश्त पुरस्कार दिए जाएं :–

1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	1600/– रू.
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	1500/– रू.
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	2400/– रू.
4.	हिंदी शिक्षण योजना की टंकण परीक्षा	1600/– रू.
5.	हिंदी शिक्षण योजना की आशुलिपि परीक्षा	3000/– रू.

जिस कर्मचारी को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है, उसे संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।

यह एकमुश्त पुरस्कार उपर्युक्त पैरा 1 व 2 में उल्लिखित वैयक्तिक वेतन और नकद पुरस्कारों के अतिरिक्त हैं।

इस प्रकार निजी प्रयत्नों से हिन्दी टंकण / आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर क्रमशः 1600/- और 3000/- रू0 के एकमुश्त पुरस्कार दिए जाते हैं । ये पुरस्कार भी पैरा 1 व 2 में उल्लिखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त हैं ।

टिप्पणी:– जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उर्तीण करते हैं, उनको एकमुस्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए

प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

(सन्दर्भ : भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का का0ज्ञा0सं0. 21034/66/2010/राभा (प्रशि) दिनांक 29.07.2011)

प्रोत्साहन योजनाएं

इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के का. ज्ञा. सं. 13017/4/90/राभा/नी/सी/पार्ट दिनांक 28 जुलाई, 1998 के अनुसार अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में काम करने वाले उन टंककों और आशुलिपिकों को क्रमशः 80 रू0 तथा 120 रू0 प्रतिमास हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा जो अंग्रेजी टाइप/आशुलिपि जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त अपना सरकारी काम हिन्दी में भी करते हैं, चाहे वह कम्प्यूटर पर कार्य करें या टाइपराइटर पर, इसके लिए प्रत्येक टाइपिस्ट/आशुलिपिक को औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टंकित करने होंगे ।

प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार वितरण की कुछ झलकियाँ

प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार वितरण की कुछ झलकियाँ

प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार वितरण की कुछ झलकियाँ

हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता पाने के लिए अपेक्षित प्रमाण – पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पदनाम.....अनुभाग.....ने .....से.....तक की अवधि में अपने काम का कुछ भाग हिन्दी आशुलिपि /हिन्दी टाइपिंग में किया । हिन्दी में किए गए काम की मात्रा उपर्युक्त मास में औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन तथा / उपर्युक्त तिमाही में लगभग 300 टिप्पणियां/प्रारूप / पत्र से कम नहीं थीं ।

मूल रूप से टिप्पणी और आलेखन (नोटिंग/ड्राफ्टिंग):– इसी प्रकार सरकारी काम काज में मूल रूप से हिन्दी टिप्पणी/आलेखन के लिए कर्मचारियों को उनके काम के आधार पर मंत्रालय/विभाग में क्रमशः 1000/- रू के दो प्रथम, 600/- रू के तीन द्वितीय पुरस्कार और 300/- रू के पांच तृतीय पुरस्कार तथा अधीनस्थ कार्यालयों में 800/- रू के दो प्रथम 400/- रू के तीन द्वितीय पुरस्कार तथा 300/- रू के 5 तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार ने हिन्दी/हिन्दीतर भाषी अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए 1000/- – 1000/- रू0 के दो अलग – अलग नकद पुरस्कार देने की योजना लागू की है । (सन्दर्भ : का.ज्ञा.सं0 11/12013/18/93-राभा (नी–2) दिनांक 16 सितम्बर 1998)

हिन्दी पखवाडा/हिन्दी दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 01 सितम्बर से 15 सितम्बर तक किया जाता है और उस दौरान महानिदेशक महोदय के आदेश पर राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं । इन प्रतियोगिताओं के लिए प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष अपने बजट के अनुसार प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दे सकते हैं । प्रतियोगिताओं में निबंध, प्रश्नोत्तरी, हिन्दी टाइपिंग, वाद–विवाद, नोटिंग ड्राफ्टिंग और काव्य गोष्ठी या अन्य प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती हैं, जिससे हिन्दी के कार्य को बढ़ावा मिले । 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि 14 सितम्बर को राजपत्रित अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस पर इसे मनाया जाएगा ।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) द्वारा पुलिस से संबंधित हिंदी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो(गृह मंत्रालय) भारत सरकार न्यायालयिक विज्ञान, कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलिछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनशील लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के द्वारा प्रोत्साहित करता है।

2. इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं–

भाग–1 पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(1) मूल पुस्तकें – **30,000/–** **30,000/–** रूपये तक के पांच पुरस्कार। इन पांच पुरस्कारों में से 1 महिला लेखक के लिए आरक्षित है। बशर्ते उनकी रचनाएं उपलब्ध हों।

(2) अनूदित हिंदी पुस्तकें – **14,000/–** **14,000/–** रूपये तक के दो पुरस्कार। (एक महिला लेखक के लिए आरक्षित है बशर्ते कि उनकी रचना प्राप्त हो)

भाग–2 ब्यूरो पुलिस से संबंधित किसी विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रति वर्ष **40,000** रूपये तक का एक पुरस्कार प्रदान करता है जिसके लिए लेखक को इस विषय पर क्या–क्या सामग्री शामिल करनी है का उल्लेख अपनी रूपरेखा के द्वारा करना होगा। इसके लिए इस वर्ष विषय है।

"पुलिस नेतृत्व"

इसी भाग के अंतर्गत एक पुरस्कार **40,000/–** रूपये का (केवल महिलाओं के लिए आरक्षित) है जिसके लिए **"महिला पुलिस से अपेक्षाएं"** विषय पर रूपरेखा आंमत्रित की जा रही है–

(1) इस पुरस्कार योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

(2) योजना के प्रथम भाग में वे सभी पुस्तकें शामिल की जाएंगी जो **31.12.2010** तक प्रकाशित हुई हैं।

3. भाग–1 के लिए पांडुलिपियां भी प्रविष्टि के रूप में भेजी जा सकती हैं परन्तु यदि विचार करने के बाद इन्हें पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया गया तो पुरस्कार राशि केवल पांडुलिपि के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी। प्रकाशन करवाने की व्यवस्था स्वयं लेखक/अनुवादक को करनी होगी। भाग–2 के अन्तर्गत निर्धारित विषय पर लिखित व पुरस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय मूल्यांकन समिति स्वयं करेगी।

4. पुस्तकों/पांडुलिपियों की तीन–तीन प्रतियाँ निर्धारित प्रपत्र के

साथ पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) को भेजी जाएंगी। ये पुस्तकें/पांडुलिपियाँ वापिस नहीं की जाती हैं ।

5. पुस्तकें लगभग 100 पृष्ठों की अवश्य होनी चाहिए।

6. योजना के भाग–2 के लिए आवश्यक है कि लेखक उपर्युक्त विषय पर विस्तृत रूपरेखा और अपने बायो डाटा की तीन–तीन प्रति भेजें।

7. इस योजना में वे पुस्तकें शामिल नहीं की जाएंगी जिन पर पहले ही भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया जा चुका हो अथवा इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो।

8. योजना के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों/ रूपरेखाओं का मूल्यांकन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यदि समिति निर्णय लेती है कि कोई पुस्तक अपेक्षित स्तर की नहीं है तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी पुरस्कार घोषित न करे अथवा

9. कोई भी लेखक, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है, आगामी तीन वर्ष के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा।

10. भेजने की अंतिम तारीख–
उपर्युक्त संदर्भ में पुस्तक अथवा पांडुलिपि अथवा रूपरेखाएं ब्यूरो के कार्यालय में **30.09.2011** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

11. कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें –
संपादक हिंदी,
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक–11,3/4तल लोदी रोड, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003.
फोन – 011 –24360371/253

पं0 गोविन्द बल्लभ पंत पुरस्कार योजना

प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम व विषय.....

2. पुस्तक का संस्करण व वर्ष.....

3. लेखक/अनुवादक का नाम और पूरा पता .....

.....

4. प्रकाशक का नाम और पता.....

5. रायल्टी पाने वाली संस्था : अथवा व्यक्ति का नाम व पूरा पता....

.....

6. (क) क्या यह रचना मूल अथवा अनूदित है .....

.....

(ख) क्या अनूदित कृति है तो मूल पुस्तक और उसके लेखक और प्रकाशक का पूरा पता .....

.....

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह अनूदित कृति है तथा इसके लेखक और प्रकाशक से हिंदी अनुवाद तथा प्रकाशित करने की अनुमति ले ली गई है।

8. प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तक की मूल कृति, अनुवाद अथवा पांडुलिपि पर भारत, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा परिचालित कोई पुरस्कार अथवा किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक हस्ताक्षर(लेखक/अनुवादक)

हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

हिन्दी में सरकारी कामकाज करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सहायता के लिए अपनी सुविधा/आवश्यकतानुसार हर तिमाही में कार्यशाला आयोजित की जा सकती है । आयोजित की जाने वाली हिन्दी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित अतिथि वक्ताओं तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को देय मानेदय की राशि रू0 240/- प्रति 60 मिनट (एक घंटा की दर निर्धारित की गई है)। किसी एक वक्ता को एक कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए अधिकतम मानदेय राशि रूपए 2400/- (दो हजार चार सौ) रू0 से अधिक नहीं होगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि एक कार्यशाला में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित सभी अतिथि वक्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय की कुल राशि किसी भी हालत में रू0 7200/- से अधिक नहीं होगी ।

(सन्दर्भ : का.ज्ञा. 14034/16/2000- राभा (प्रशि) दिनांक 19 मार्च 2001)

अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए मानदेय

राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों तथा इनके अन्तर्गत समय – समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार कई कार्यों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाना है तथा कई कार्य केवल हिन्दी में किए जाते हैं। कई कार्यालयों में अनुवाद की समस्या के कारण इन आदेशों का अनुपालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है । इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह तय किया गया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों, जिनमें अनुवादक के पद नहीं हैं, वहां अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर करवाया जाए। मानदेय की दरें निम्न प्रकार रखी गई हैं:–

(क) सामान्य प्रकार की सामग्री का अनुवाद करने के लिए 95/- रूपए प्रति हजार शब्द।

(ख) संहिताओं, नियम पुस्तिकाओं आदि तकनीकी, स्वरूप के अनुवाद कार्य के लिए 100/- रू प्रति हजार शब्द

(ग) मानदेय की अधिकतम राशि 5000/- रू0 प्रतिवर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए) है।

(घ) गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए अधिकतम मानदेय की कोई सीमा नहीं है।

(सन्दर्भ : का.ज्ञा. सं0 13017/1/2010 राभा (नी.स) दिनांक 21 जुलाई, 2010)

उपर्युक्त नकद पुरस्कारों के अलावा कार्यालयाध्यक्ष भी राजभाषा हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी ओर से नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत कर सकते हैं । ताकि हिन्दी में कार्य करने वालों का मनोबल बना रहे और राजभाषा हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति हो सके । भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में हिंदी कक्ष स्थापित किए गए हैं और उनमें हिंदी से संबंधित विभिन्न पद बनाए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए और संबंधित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए । विभिन्न प्रभागों/शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी सदस्य हों । नामित हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे ।

हर तिमाही में यह बैठक नियमित रूप से की जाए । इसमें प्रत्येक शाखा/अनुभाग की निर्धारित प्रपत्र पर तिमाही मंगवाकर तुलनात्मक समीक्षा की जाएं । नियमित रूप से पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए और उस पर विस्तृत चर्चा की जाए ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन

दिल्ली के बाहर प्रमुख नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार के 10 या उससे अधिक कार्यालय है केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जाती हैं। इन समितियों के अध्यक्ष राजभाषा विभाग द्वारा नामित किये जाते हैं जो सामान्यतः नगर के वरिष्ठतम

अधिकारी होते हैं। नगर स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधि इनके सदस्य होते हैं । इनकी बैठके वर्ष में दो बार होनी अपेक्षित हैं । इन बैठकों में सदस्य कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लें ।

संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशें तथा उन पर राष्ट्रपति के आदेश

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (i) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति का गठन वर्ष 1976 में किया गया था । इस समिति में तीस सदस्य हैं, 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से । यह समिति संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर, उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । समिति ने अपना प्रतिवेदन खण्डों में प्रस्तुत करने का निश्चय किया । समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के आठ खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है और उन पर आदेश भी हो चुके है, जिन्हें समय समय पर सभी कार्यालयों को अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है।

हिन्दी के कार्य को बढाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जिन पर अमल किया जाए तो हिन्दी के कार्य में काफी बढोत्तरी हो सकती है:–

1. मानक मसौदे (Standard drafts) : कई विषयों के पत्र अनेक व्यक्तियों को लगभग एक जैसे भेजे जाते हैं, उसे मानक मसौदा कहते हैं। कुछ मानक मसौदे सीमा सुरक्षा बल की वेबसाईट में 'हिन्दी फार्म' लिंक पर उपलब्ध हैं। इसके लिए उन्हें सभी कम्पयूटरों पर हिन्दी में डाउनलोड करके उनका प्रयोग किया जाए।

2. इनमें जहां विशेष महत्व के शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो दूसरों की सुविधा के लिए ऐसे शब्दों के आगे उनके अंग्रेजी पर्याय कोष्ठक में लिखे जा सकते हैं । इनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए ।

3. जिन फाइलों में नोटिंग – अंग्रेजी में चल रही हो, उन फाइलों पर नोटिंग हिन्दी में शुरू की जाए, यदि विशेष परिस्थितियों में कभी कठिनाई आती है तो अंग्रेजी में नोटिंग की जा सकती है, लेकिन फिर नोटिंग हिन्दी में ही करें ।

4. हिन्दी कार्य की शुरूआत आसान मामलों से की जाए और अन्य भाषाओं के जो शब्द प्रचलित हैं, उन्हें अपनाने से परहेज न किया जाए तो काफी काम मूल रूप में हिन्दी में होने लगेगा और हर स्तर पर हिन्दी के कार्य की शुरूआत की जा सकती है । केवल अनुवाद कार्य पर निर्भर न रहकर स्वयं मूल कार्य हिन्दी में करने से कार्य बढ़ सकता है ।

5. हिन्दी में कार्य करने के लिए बल मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा सहायक साहित्य भी तैयार किया गया है, जैसे मानक मसौदे और मानक फार्मों की पुस्तकें, अंग्रेजी – हिन्दी शब्दावली, इनका प्रयोग करके बल में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है । इससे बल का हिन्दी का कार्य भी बढ़ेगा और हिन्दी कार्य में एकरूपता भी आएगी।

राजभाषा संबंधी नियमों/आदेशों की अद्यतन जानकारी

राजभाषा संबंधी जानकारी राजभाषा विभाग की बेव साइट rajbhasha.nic.in से ली जा सकती है।

अतः हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है कि हम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार अपने कार्यालय का काम पूरी लगन और निष्ठा के साथ हिन्दी में करने का प्रयत्न करें ।

परिशिष्ट 'क'

अधिसूचित कार्यालयों की सूची

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अधिसूचित होने की तिथि
विशेष महानिदेशक मुख्यालय		
1.	मुख्यालय, चंडीगढ़ विशेष महानिदेशक (पश्चिम)	16.03.2006
2	मुख्यालय, कोलकाता, विशेष महानिदेशक (पूर्व)	11.05.2009
फ्रंटियर		
1.	फ्रंटियर मुख्यालय पंजाब	08.11.1982
2.	फ्रंटियर मुख्यालय श्रीनगर	10.11.1982
3.	फ्रंटियर मुख्यालय जम्मू	10.11.1982
4.	फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान	10.11.1982
5.	फ्रंटियर मुख्यालय ए एण्ड एम शिलाँग	10.11.1982
6.	फ्रंटियर मुख्यालय उत्तर बंगाल	07.03.1997
7.	फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा	02.04.2004
8.	फ्रंटियर मुख्यालय एम एण्ड सी सिल्चर	07.06.2002
9.	फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, कोलकाता	14.01.2009
सेक्टर		
10.	सेक्टर मुख्यालय अबोहर	26.03.1980
11.	सेक्टर मुख्यालय बीकानेर	10.11.1982
12.	सेक्टर मुख्यालय गांधीनगर	16.07.1991
13.	सेक्टर मुख्यालय बाडमेर	16.07.1991
14.	सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर (उत्तर)	16.07.1991
15.	सेक्टर मुख्यालय कोलकाता	19.12.1994
16.	उप महानिरीक्षक (मु0) बल मुख्यालय	25.08.1999
17.	सेक्टर मुख्यालय गुवाहाटी	19.12.1994
18.	सेक्टर मुख्यालय अमृतसर	14.06.1995
19.	सेक्टर मुख्यालय फिरोजपुर	14.06.1995
20.	सेक्टर मुख्यालय जम्मू	25.08.1999

21.	सेक्टर मुख्यालय कृष्णानगर	26.07.2000
22.	सेक्टर मुख्यालय तलियामूरा	26.07.2000
23.	सेक्टर मुख्यालय गोकुलनगर	26.07.2000
24.	सेक्टर मुख्यालय तुरा	26.07.2000
25.	सेक्टर मुख्यालय इन्द्रेश्वर नगर	18.10.2001
26.	सेक्टर मुख्यालय किशनगंज	10.05.2000
27.	सेक्टर मुख्यालय कूचबिहार	10.05.2000
28.	सेक्टर मुख्यालय, कुपवाड़ा	02.04.2001
29.	सेक्टर मुख्यालय मालदा	18.10.2001
30.	सेक्टर मुख्यालय गुरदासपुर	18.10.2001
31.	सेक्टर मुख्यालय सिलीगुड़ी	03.01.2002
32.	सेक्टर मुख्यालय, शिलॉग	03.12.2002
33.	सेक्टर मुख्यालय बारामूला	07.06.2002
34.	सेक्टर मुख्यालय श्रीनगर	10.10.2002
35.	सेक्टर मुख्यालय विद्रोह रोधी मणिपुर	02.04.2004
36.	सेक्टर मुख्यालय, विद्रोह रोधी आइजोल	02.04.2005
37.	सेक्टर मुख्यालय,सीसुबल, सुंदरवनी	02.06.2005
38.	सेक्टर मुख्यालय,सीसुबल, जैसलमेर (दक्षिण)	02.06.2005
39.	सेक्टर मुख्यालय,सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर	16.03.2006
40.	सेक्टर मुख्यालय,सीसुबल, उदयपुर	31.01.2008
41.	सेक्टर मुख्यालय, सीसुबल, बांदीपुर	31.01.2008
42.	सेक्टर मुख्यालय, सीसुबल, जलपाईगुड़ी	14.01.2009
43.	सेक्टर मुख्यालय, सीसुबल, पानीसागर	11.05.2009
44.	सेक्टर मुख्यालय, सीसुबल, राजौरी	11.05.2009
45.	सेक्टर मुख्यालय(विद्रोह रोधी), सीसुबल, बगाफा	11.05.2009
46.	सेक्टर मुख्यालय, सीसुबल, सिल्चर	11.05.2009
<u>प्रशिक्षण/सहायक प्रशिक्षण केन्द्र/संयुक्त अस्पताल</u>		
47.	सी.सु. बल प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	03.06.1991
48.	एस टी सी चाकुर	03.06.1991
49.	सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर	16.07.1991
50.	एस टी एस बंगलौर	16.07.1991

51.	सी एस डब्ल्यू टी इन्दौर	16.07.1991
52.	एस टी सी बंगलौर	16.07.1991
53.	एस टी सी जोधपुर	16.07.1991
54.	सेनवेस्टो सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर	16.05.1995
55.	एस टी सी खडका कैम्प	12.03.1996
56.	एस टी सी उत्तर बंगाल, कदमतला	23.02.1998
57.	एस टी सी, उधमपुर	25.08.1999
58.	एस टी एस – । दिल्ली	25.08.1999
59.	एस आई डब्ल्यू, नई दिल्ली	25.08.1999
60.	सीमा सुरक्षा बल सी एस एम टी टेकनपुर	26.07.2000
61.	सीमा सुरक्षा बल अश्रुगैस ईकाई टेकनपुर	26.07.2000
62.	राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केन्द्र टेकनपुर	29.07.2002
63.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, टेकनपुर	26.07.2000
64.	बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर	10.10.2002
65.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र कश्मीर	10.10.2002
66.	एस टी सी चूडाचांदपुर	18.10.2002
67.	सी सु बल संयुक्त अस्पताल, टेकनपुर	31.01.2008
तोपखाना/पीएडी/जल स्कन्ध		
68.	तोपखाना मुख्यालय नई दिल्ली (1066)	09.12.1999
69.	1011 तोपखाना रेजीमेंट सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
70.	1033 तोपखाना रेजीमेंट सीमा सुरक्षा बल	11.05.2009
71.	1044 तोपखाना रेजीमेंट सीमा सुरक्षा बल	11.05.2009
72.	1055 तोपखाना रेजीमेंट सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
73.	1077 तोपखाना रेजीमेंट सीमा सुरक्षा बल	10.10.2002
74.	1066 तोपखाना रेजीमेंट	09.12.1999
75.	पी ए डी नई दिल्ली	25.08.1999
76.	जल स्कंध भुज	19.10.2004
बटालियन		
77.	01 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
78.	02 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2004
79.	03 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.03.1990
80.	04 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	12.03.1996

81.	05 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
82.	06 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
83.	08 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2004
84.	09 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
85.	10 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
86.	11 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
87.	12 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
88.	13 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	25.09.1999
89.	14 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	25.08.1999
90.	15 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2004
91.	16 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.06.1995
92.	17 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
93.	18 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
94.	19 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.06.1995
95.	20 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.10.2002
96.	21 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
97.	22 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.06.1995
98.	23 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.10.2002
99.	24 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
100.	25 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	31.07.1997
101.	26 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.06.1995
102.	27 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल	02.06.2005
103.	28 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
104.	29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
105.	30 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.10.2004
106.	31 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
107.	32 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
108.	33 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	12.03.1996
109.	34 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
110.	35 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
111.	36 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
112.	37 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995

113.	38 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.12.1994
114.	39 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
115.	40 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.10.2002
116.	41 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
117.	42 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
118.	43 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.09.1998
119.	44 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
120.	45 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
121.	46 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.01.2009
122.	47 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.06.2002
123.	48 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.06.1995
124.	49 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.06.1995
125.	50 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.06.1995
126.	51 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
127.	52 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
128.	53 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
129.	54 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.09.1998
130.	55 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	31.01.2008
131.	56 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
132.	57 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.1997
133.	58 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.06.2002
134.	59 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.12.1994
135.	60 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
136.	61 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
137.	62 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
138.	63 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
139.	64 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
140.	65 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.01.2001
141.	66 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.12.1994
142.	67 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2004
143.	68 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
144.	69 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2004

145.	70 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.12.1994
146.	71 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
147.	72 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	30.09.1997
148.	73 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.1970
149.	74 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.12.1994
150.	75 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
151.	76 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
152.	77 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	25.08.1999
153.	78 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2004
154.	79 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
155.	80 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
156.	81 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
157.	82 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.01.2002
158.	83 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.06.2002
159.	84 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	23.02.1998
160.	85 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
161.	86 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
162.	87 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
163.	88 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2004
164.	89 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
165.	90 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
166.	91 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.06.2005
167.	92 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.10.2002
168.	93 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.06.1995
169.	94 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
170.	95 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.09.1998
171.	96 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	13.12.2000
172.	97 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	13.12.2000
173.	98 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
174.	100 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	27.06.2000
175.	102 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
176.	103 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999

177.	104 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
178.	105 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
179.	106 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
180.	107 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1999
181.	108 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
182.	109 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.01.2002
183.	110 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
184.	111 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2004
185.	112 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.10.2004
186.	113 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	25.08.1999
187.	115 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
188.	116 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
189.	117 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
190.	118 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
191.	120 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2002
192.	121 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
193.	122 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
194.	123 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
195.	124 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.01.2002
196.	126 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
197.	127 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
198.	128 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
199.	129 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
200.	130 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
201.	131 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.12.1994
202.	132 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	31.01.2008
203.	133 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
204.	135 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	16.05.1995
205.	136 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
206.	137 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	18.10.2001
207.	138 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000
208.	139 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2001

209.	140 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.06.2002
210.	141 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
211.	142 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	31.07.1997
212.	143 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
213.	145 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.06.2005
214.	151 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	14.06.1995
215.	152 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.10.2002
216.	153 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	12.03.1996
217.	161 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	25.08.1999
218.	162 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
219.	163 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
220.	171 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.12.1994
221.	172 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	07.03.1997
222.	173 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.01.2001
223.	181 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	09.12.1999
224.	182 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.12.2002
225.	183 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	03.01.2002
226.	191 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	02.04.2002
227.	192 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.12.1994
228.	193 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.10.2004
229.	194 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	10.05.2000
230.	195 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.10.2004
231.	199 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	19.10.2004
232.	200 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	26.07.2000

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं

1.	असमिया	12.	मलयालम
2.	उड़िया	13.	संस्कृत
3.	उर्दू	14.	सिंधी
4.	कन्नड़	15.	हिन्दी
5.	कश्मीरी	16.	नेपाली
6.	गुजराती	17.	कोंकणी
7.	तमिल	18	मणिपुरी
8.	तेलुगू	19.	बोडो
9.	पंजाबी	20.	संथाली
10.	बंगला	21.	मैथिली
11.	मराठी	22.	डोगरी

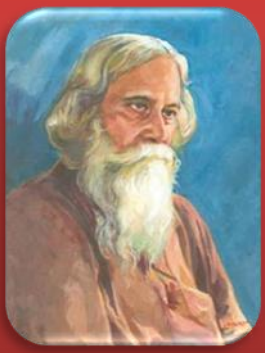

हम चाहते हैं कि सारी प्रांतीय बोलियां, जिनमें सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने–अपने घर में (प्रांत में) रानी बनकर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारत–भारती होकर विराजती रहे ।

– गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर